

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-30052022-236123
SG-DL-E-30052022-236123

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]	दिल्ली, सोमवार, मई 30, 2022/ज्येष्ठ 9, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 97
No. 11]	DELHI, MONDAY, MAY 30, 2022/JYAISTHA 9, 1944	[N. C. T. D. No. 97

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 30 मई, 2022

सं. मु.चु.अ./च.सं./102(20)/2022/13349.—निम्नलिखित को सर्वसाधारणकी जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2022

सं. 100/भा.नि.आ./दिल्ली-वि.स./1/2022.—यतः, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधानसभा में, 39 - राजेन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित श्री राघव चड्ढा का स्थान उनके त्याग पत्र देने के परिणामस्वरूप 28 मार्च, 2022 को रिक्त हो गया है: और

2. यतः, इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) तथा धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा:-

(अ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र में 39- राजेन्द्र नगर विधानसभा निर्वाचन-क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 28 जून, 2022 (मंगलवार) से पूर्व और उक्त अधिनियम और तद्वीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधानसभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति को निर्वाचित करे;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में-

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	06 जून, 2022 (सोमवार)
(ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	07 जून, 2022 (मंगलवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	09 जून, 2022 (गुरुवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा; और	23 जून, 2022 (गुरुवार)
(ड.) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	28 जून, 2022 (मंगलवार)

नियत करता है; और

(इ) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है, जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश से,

डॉ. रणवीर सिंह, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 30th May, 2022

No. CEO/COE/102 (20)/2022/13349.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2022

No. 100/ECI/DEL-LA/1/2022.—WHEREAS, the seat of Shri Raghav Chaddha in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi, elected from 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency, has become vacant on 28th March, 2022 by reason of his resignation; **and**

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

3. **NOW THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of section 150, and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-

(A) **Calls upon** the said 39-Rajinder Nagar Assembly Constituency of the State of National Capital Territory of Delhi, to elect, before 28th June, 2022 (Tuesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi;

(B) **Appoints**, with respect to the said election:-

- (a) the 06th June, 2022 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 07th June, 2022 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 09th June, 2022 (Thursday), as the last date for withdrawal of candidatures;
 - (d) the 23rd June, 2022 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 28th June, 2022 (Tuesday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from **07.00 A.M to 06.00 P.M**, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By Order,
AJOY KUMAR, Secy.

By Order,
Dr. RANBIR SINGH, Chief Electoral Officer, Delhi